

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा
किसान भाईयो के लिए महत्वपूर्ण सूचना

आर0के0वी0वाई0 (RKVY) स्कीम के तहत कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में किसानो को Promotion of Autumn Planting of sugarcane with intercropping ,Multiple Ratooning, Promoting Farm Mechanization and Promotion of Quality Seed Production/Strengthening of Bio-Lab मदों में अनुदान दिया जाएगा। जिलेवार भौतिक लक्ष्य निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	जिले का नाम	Promotion of Autumn Planting of sugarcane with intercropping	Multiple Ratooning	Promotion of Quality Seed Production/Strengthening of Bio-Lab	
				Foundation seed nursery	Certified seed nursery
		भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)
1	कुरुक्षेत्र	1083	1661	20	250
2	करनाल	1189	1827	20	250
3	पानीपत	546	837	20	250
4	सोनीपत	758	1166	20	250
5	जीन्द	330	509	20	250
6	कैथल	330	509	20	250
7	रोहतक	975	1496	20	250
8	फरीदाबाद	50	80	8	100
9	पलवल	66	102	12	150
10	हिसार	116	182	20	250
11	भिवानी	222	345	8	200
12	झज्जर	330	508	20	250
13	यमुनानगर	2750	4142	40	600
14	अम्बाला	1083	1674	20	250
15	फतेहाबाद	61	100	20	250
16	पंचकुला	111	182	12	200
	कुल	10000	15320	300	4000

विशेष दिशा-निर्देश:-

1. शरदकालीन गन्ने के बिजाई के साथ सह फसल पर अनुदान अधिकतम 2000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा।
2. एक किसान को अधिकतम 2 एकड़ का लाभ प्रदान किया जाएगा।
3. योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू की जाएगी।
4. तकनिकि व अन्य जानकारी के लिए अपने कृषि विकास अधिकारी (गन्ना)/सहायक गन्ना विकास अधिकारी से सम्पर्क करें।
5. अनुदान गन्ने की नोटिफाईड/रिकमण्डेड किस्मों पर ही दिया जाएगा।
6. **Multiple Ratooning** मद में किसान सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी(गन्ना)/सहायक गन्ना विकास अधिकारी के परामर्श अनुसार प्रदर्शन प्लाटों के लिए सरकारी स्त्रोत अथवा गैर-सरकारी स्त्रोत से इन्पुट खरीद कर बिल सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना)/सहायक गन्ना विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
7. अनुदान की राशि भौतिक सत्यापन उपरान्त किसानो के बैंक खाते में दी जाएगी।
8. आवेदन करने की अन्तिम तिथि 15 जनवरी, 2017 है।
9. रसायनिक खादो पर अनुदान नहीं दिया जाएगा
10. अनुदान की राशि सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना)/ सहायक गन्ना विकास अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन उपरान्त सहायक गन्ना विकास अधिकारी द्वारा डी0बी0टी0 द्वारा किसानों के बैंक खाते में दी जाएगी।